' कार्यालय	, उप वन	संरक्षक,	केदारनाथ	वन्य	जीव	प्रभाग,	गोपेश्वर
	& Fax- 01372-2521			Email-	dfo.keda	rnath.cml@g	mail.com
पत्रांक 18	0 / 12-2	गोपेश्व	र,	दिन	ांकः	18	जुलाई ,2016
सेवा में,							
	अपर प्रमुख वन						
	भूमि सर्वेक्षण नि	देशालय इन्दिर	ानगर फारेस्ट काल	ननी,			
	देहरादून ।						
विषयः—	सिमली से शैलः	खर मोटर मार्ग	निर्माण हेतु वन भ	नूमि हस्तान्त	रण के सग	बन्ध में।	
संदर्भः-	अधिशासी अभिय	ान्ता, प्रान्तीय र	खण्ड लो०नि०वि० व	कर्णप्रयाग क	ा पत्रांक 2	443/10 ए	ल०ए० (1)
	दिनांक 11-07-						

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में अवगत करना है कि भारत सरकार के पन्न E.D.S दिनांक 13–05–2016 द्वारा चाही गई सूचना अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग द्वारा निम्नानुसार प्रेषित की गई है:–

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	Total period for which the forest land is proposed to be diverted is given as nil . This may be reviewed.	पार्ट—। के कम संख्या A-1(X) में संशोधित कर 99 वर्ष कर दिया गया है।
2	The details of person making application and that of the one authorized to file application do not match	पार्ट—। के कम संख्या A-3 (Xv ii) में अपलोड किया गया है।
3	The sum total of village wise area breakup is 1.34 ha while in other places the land to be diverted is mentioned as 1.44 ha. Also the total of component wise break up is 1.43 ha. This discrepancy may be looked into.	पार्ट—। के कम संख्या B-2.3, एंव B-2.4 अपलोड किया गया है।
4	Soft copies of shapefiles indicating map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station may be provided.	पार्ट–। के Additional Information अलग–अलग फाइल बनाकर अपलोड कर दी गयी है। तथा GPS or Total Station Map संलग्न कर आपको प्रेषित किये जा रहे हैं।
5	In the FRA certificate of DM, names of 3 villages have been mentioned, while Gram Sabha proceedings of only one village has been annexed. Gram Sabha proceedings of all concerned villages may be sent.	पार्ट—। के क्रम संख्या K(a) में FRA संशोधित करते हुये सभी ग्रामों को दर्शाया गया है। जिसमें ग्राम कनोठ एवं मल्याग्वाड़ के वर्तमान ग्राम प्रधान एक ही हैं।
6	Instead of ,Copy of MoU/agreement executed between the Present owner and the User Agency in part I, some other document is attached.	पार्ट-। के क्रम संख्या L (IV) (g) में Copy of MoU/agreement executed between the Present ower attached कर दिया गया है।
7	Similarly, instead of non- encumbrance certificate for the forest land in part I, site suitability certificate has been attached.	पार्ट-। के क्रम संख्या L-(iv)(h) में encumrance certificate वित the forest कर दिया गया है।
8	The CA scheme may be prepared for a minimum of 2.88 ha area (double of the forest land being diverted)	पार्ट–। के क्रम संख्या L–(iv)(b) में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण को संशोधित कर area 2.88 mention कर दिया गया है।

सुलम संदर्भ हेतु उक्त संदर्भित पत्र की छाया प्रति मय संलग्नकों सहित प्रेषित की जा रही है। अतः अनुरोध है कि प्रश्नगत परियोजना में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें। भबदीया,

(नीतू लक्ष्मी एम०) उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विमाग, कर्णप्रयाग Phone/Fax :- 01363-244204 E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com リオ市 24/43/ 10 (104. (7) दिनांक : 1/ 1/2018 प्रभागीय वनाधिकारी केंद्र स्ताख्य वनाधिकारी पिश्वर (चर्माली) सिमली-शैलेश्वर मोटर मार्ग में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपल्लियों के निराकरण विषय :--के सम्बन्ध में। सन्दर्भ :--मारत सरकार का मंत्र EDS दिनांक 13.05.2016। महोत्वय. उपरोक्त विषयक सन्दर्मित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :-लगायी गयी आपत्तियाँ क्र.स. आपत्तियों का निराकरण \* 2 8 Total period for which the forest land is पार्ट- 1 के क्रम संख्या A-1 (x) में Total period of forest proposed to be diverted is given as nil. This land 99 Year mention कर दिया गया है। may be reviewed. The Details of person making application पार्ट-। के कम संख्या A-3 (xvii) में नया Authorized and that of the one authorized to file Certificate अपलोह कर दिया गया है। (संलग्नक-1 application do not match. पेज 2) The Sum total of village wise area breakup पार्ट-1 के जन्म संख्या B-2.3 में Village wise area 194 is 1.34 ha while in other places the land to breakup 1.44 ha Mention कर दिया गया है। पार्ट-1 be diverted is mentioned as 1.44 ha. Also के कम संख्या B-2.4 Component wise breakup में the total of component wise break up is 1.43 मार्ग लिगोंण हेतु 1.34 ha Mention कर दिया गया है। ha. This discrepancy may be looked into. तथा Muck disposal हेतु 0.10 ha भूमि हस्तान्तरित होनी है लेकिन Technical Error होने के कारण Muck disposal में 0.10 ha के स्थान पर 0.0999 ha दर्शाया गया है। Soft copies of shapefile indicating map of पार्ट-। के Additional Information में आलग- अलग E. the forest land proposed to be diverted फाइल बनाकर अपलोड कर दी गयी है। तथा GPS or prepared by using GPS or Total station may Total station map संलग्न कर आपको प्रेषित किये ला be provided. रहे है। (संलम्बक-2 पेज 3 से 6) In the FRA certificate of DM, names of 3 पार्ट-। के क्रम संख्या K (a) में FRA संशोधित करते हये लमी ग्रामों को दर्शाया गया है। जिसमें ग्राम कनोठ एवं village have been mentioned, while Gram sabha proceedings of only one village has मल्याग्वाड के वर्तमान ग्राम प्रधान एक ही है। (संलम्बक-3 been annexed. Gram Sabha proceedings of पेज 7 से 14) all concerned villages may be sent. instead of, Copy of MoU/agreement पार्ट-। के कम लंख्या L (iv) (g) में Copy of R executed between the Present owner and MoU/agreement executed between the Present the User Agency in Part-I, some other owner attached कर दिया गया है। (संलग्नक-4 पेज document is attached. 15) Similarly, instead of non-encumbrance certificate for the forest land in part-I, site पार्ट-। के क्रम संख्या L-(iv)(h) में encumbrance certificate for the forest land, site suitability suitability certificate has been attached. certificate attached कर दिया गया है। (संलग्नक-5 मेख 16 से 17) कर पार्ट-। के क्रम संख्या L-(iv)(b) में क्षतिपूर्ति वृक्षारायण The CA scheme may be prepared for a 8 minimum of 2.88 ha area (double of the को संशोधित कर area 2.88 ha mention कर दिया गया forest land being diverted).

संख्यम :---

IFPU

(जे. मी अत्तु में (जे. मी अत्तु बी)

अधिशासी अभियन्ता जन्तीय खण्ड लो.नि.वि. कर्णप्रयाग



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सातवॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग



गोपेश्वर

Ph.No./Fax No - 01372-252173

e-mail - sepwdgope@rediffmail.com

usino: 4704 /2 2/0 - 07/2015.

दिनोंक: 20-10-2015

### Authority Certificate

Mr. Jagdamba Prasad Raturi, Executive Engineer, Provincial Division, PWD Karanprayag is hereby authorized to upload the Land Transfer Proposal regarding Roads of the Provincial Division, PWD, Karanprayag on the Government of India portal www.forestclearance.nic.in on b-half of the Superintending Engineer, 7<sup>th</sup> Circle, PWD, Gopeshwar (Chamoli).

Sterior 10105

Superintending Engineer 7<sup>th</sup> Circle, PWD, Gopeshwar (Chamoli)





Page 5



U

Annexure-1

#### FORM-I (for Linear Projects) Government of Uttarakhand Office of the District Collector, Chamoli

Dated : / /2015

#### TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that 1.440 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of <u>Public Works Department</u> <u>Uttarakhand</u> for <u>New Construction of Simli-Sheleshwar Motor Road in Karanprayag</u> <u>Constituency of District Chamoli</u> falls within jurisdiction of Kanot, Malla Gwad and Naini Village in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that :-

- (a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.440 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s). Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,
- (c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

n

Ashok Kumar (IAS) District Magistrate Chamoli (Uttarakhand)

No.

Annexure-I

#### Office of the District Collector, District-Chamoli (Uttarakhand)

# Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhnad), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Ashok Kumar (IAS), District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 19-06-2015, At 10 p.m. at Chamoli in which the application claiming rights in village Kanot, Malla Gwad and Naini of Tehsil-Karanprayag, area Measuring 1.440 Hectares for the <u>New Construction of Simli-Sheleshwar Motor Road in Karanprayag Constituency of District Chamoli of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.</u>

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

Ken

Ashok Kumar (IAS) District Magistrate –cum-Chairman, District Level Committee, Chamoli

#### W-3-232

परियोजना का नामः--

कार्यालय एव जिल्लीचकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत क्रावाली अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पुत्र जनवाल लागीय समिति

कारवाद विषाणमा? परितंत्र ने अन्तेन सिमकी चेल्लेन्ट मीडर माने कालिगिंग \* इ आरंतित यन मुमि क 600 हे जावेन या मानेन ता पूर्व 0000 हे जावान नेन ताना जुन 10440 हे वन मुमि) का मिल्लिकि प्रवालता लजन्मी के बस ने स्लान्तरित दिये काल वहा अनुसूर्यत व्यवणात कीर जन्म मुस्ममयत वनवासी वन आहेकाण को मान्यता। आवानियन 2006 के अन्तेगत उम्रे खेवड स्वविंड सांगदे (तहसोल द्वाराष्ट्रमाग) की विनांक 24800 की सम्पन्न देवड़ की कार्यवाही का दियरण-

नपुर्खुपार जनमारि शार अन्य प्रस्मयानत रन निवासी (को रुप्रिजय की सन्यज) अधिनियन 2000 (य सिंहम 2006) ने अत्तरित जनसम्ब तत्त्वीप वन अधिकान लामिते यो पेठळ तत्तरीय का अधिकार समिति की अप्रकाल में अपकेटिक दी गर्या। वेवक में सन्तरीय लवस्य का उपसंधान जन्मानुवा है

Jan Station 2 JUD CHERON MOUNT को जिल्लानन उमन उप प्रतामीव बनविकास गोपकेक () भी मालदात पुनोहित कर कविन्गर समीति सदल्य -11-3 कीमती सुझीला रावल ननक दिनाट समीहा हदान्छ () भी महियाल हिट गेनी क महिन्य स्पीमी तदाय Fanot Almant ATELANS MARTE 1440

सबंधित उप प्रमागीय बनाधिकारा जिल्ला हाल अनुस्तुनित जनावाति एवं अन्य प्रस्थलमन कन निवाल (वन अधिकारों की मान्यता) आधेनियम 2006 एवं तत्रफवंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्वष्ट करत हुए जानजात सं

appendigo

मामनीय सरस्यों को अडमल कराया कि इन अधिनेधन 2008 के अन्तंपत किसी भी दावराल का हाल आभोचन पर नन्तुत नहीं किया एया है। इस सम्बन्ध में राम लगा/ नेदावत द्वारा अनापति खारी की जा चुढ़ी है। अहा सकरण में एम खप्ट स्तर्तेय वन आवेकार समिति द्वारों अनापति कारा को जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अध्याया परिसंत के उन्तंगत सिरामली-योजवा मेन्द्र मान्य गानित परिप्रोजना के निर्माण हेतु 1.440 हं उन पूमे (गा) भिने विद्यालन एतन्सी को जनविन में स्वय राधिन के अनुमति प्राप्त कर प्रत्यायाँत किये जाने पर लहनति व्यक्त की गयी।

🖌 বিদ্য क्रिये <sup>द्र</sup>ि जन खरूषे सिर्वमार्थमें अधिका asala Joinno and ... - com of

-क्रीनी- सा द्वाल्य हो जायरतक कार्यदाई। तम्। मुश्चिषुपु

#### प्रपन्न-23.1

परियोजना का नाम :-

# 

#### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद जोली अन्तर्गत <u>तिंग्रली होले</u> सीटर मांग की <u>क</u> <u>किंगोक</u> परियोजना के निर्माण हेतु <u>सरस्तर</u> हे0 आरक्षितवनभूमि. गु600 है0 सिविल सोयमभूमि. 8249. हे0 वनपंचायत भूमि अर्थात कुल <u>क्रस्ट</u> है0 वनभूमि का. <u>लोकोन्ट्रे वि</u>माग/ संस्था के पक्ष में मारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विशय में ग्राम पंचायत लोगी द्वारा दिनाक 20 2 205 को सम्पन्न ग्रामसमा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सबध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृशि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उदत्त वनभूमि में किसों भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृशि कार्यनहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसमा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम\_देडी... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि<u>रिस्मली</u> रोलित सिंग्<u>र क्राण्टीको कि</u> प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

Ball 76/19

गामसचिव द्विका कज्यस्य ।

नोट :-\* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

## प्रुपन्न-23.1

# दिनांक की उपस्थिति को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत ........................

कमांक	ग्रामसमा में उपस्थित वरिषट ग्रामवासियों के	हस्ताक्षर
n na internet and an	्रियायसाद श्रेन्यका	I S SE MUTAKIC C
2.	1022121 AL 302 (25)	
8~ -	ELAM YOU	RIGHARNY SMILL
1-	स्थलील (क्यारे, केल्पछत	ित्रजी ।
16	bidy albid	- 2000 and
6-	(Seminice stellen)	TASHITON TRAVI
***	21H-ALE HTAIRS	
8-	्द्रणहर जोहार]	+ genalmeral
GA - manuf	TANKASHI 2000	VIPON
10-	2Konstation	ant were
terran and the second sec	ASIC - LEZALL	Mar 1/41
10mm	सत्य प्रतास्त्वील हो।	Sugar
13-	Antomen ( A Mage)	Anal
141 -	URDANK BARD	+ QLZ N
15-	जाराह नावाल	Anthenna ann
16	र्ट्राट्रा प्रसाह नेतनाल	AP-22
A 107	ार्गियात्व महाझुला	Ama-curve
18	HERITALILIMIT	TREZING STREAT
79.	(Mamo) Michon	CORTATE TAKE
20-	िखली दिनी	1299 161
21-	1929 [72] [31]	-691-6-19-
30-	Tural Jage	M- Lorbert
23-	BUS HOIL	1 Harlie 2015
	- Eulis -	BOX "
		50 /12 1 min
		ग्रामप्रधान के हिंदी क

#### प्रपन्न- 23.1

परियोजना का नाम:-

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत का नाम कित्तोह किल्पा र्थाऽ तहसील लागपुत्वाय जिला न्य स्वर्गको

छत्तराखण्ड में जनपद नमोली अन्तर्गत भिरती रोनरेन2 का का नवानेकी परियोजना के निर्माण हेतु....हे० आरक्षितवनभूमि इ. 60 सिविल सोयमभूमि 0.840 हे० वनपंचायत भूमि अर्थात कुल 1.440 हे० वनभूमि का लोग निर्माय विभाग / संख्या के पक्ष में भारत सरकार घर्यावरण एवं ननमंजालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन

प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत को होतक हारा दिनांक 24/6/2016 को सम्पन्न ग्रामसमा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्यनहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामबासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम करतोड़ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि विक्रमें के स्वर्थनर भे थे प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।



ह0/-ग्रामसचिव

नोट- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रपत्र- 23.1

दिनांक 22-16/2016 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत अनोह भेल्या ज्वाड ?

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	<b>VBINA</b> 3
02	- राग्व लाल	- Hundlake
	assi cat	215515910
1	उनमिता देवा	HITTI Sat
3	JIOIGIA CICI	भाषपति लाल
4		
5	सु रेष देष	र्दुरब देव
an ( and a set of an end of a set of a		
		1
Construction of the International States		
		1

943211255 22/6/2016 EO X-ग्रामप्रधान

#### परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के सिमली शेलेश्वर मोटर मार्ग का नव निर्माण। अन्मर्गत

## क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का विवरण

क०स०	ग्राम का नाम	खरारा नम्बर	वृक्षारोपण हेतु लिया गया क्षेत्रफल (ह0 न)
1	कनोठ	625	2.88 है0
	सम्पूर्ण योगः		2.88 衰0

লভাবক অনিধানা মাত আত লাতনিতৰিত

15 अधिशासी अभियन्ता प्राo स्त्रo लोधनिधतिo

कर प्रमाण

ক্রনিফ অসিফ-বা

पाछ खब लोवनिवति॥ कर्णाप्रसाम

क्तर्भय याग

यान्त्र न

लोव नवनिव कर्णच्याग

.616 Too. 6

Even Gentary) 32

11

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अर्न्तगत सिमली शैलेश्वर मोटर मार्ग का नव निर्माण

#### क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.880 हें कि किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.880 हें कि किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त है।

T 80/- 400 प्रमागीय बनाधिकारी

प्रभागीय चनाधिकाई (वर्गाला

न्हातियर के ब्रह्मारेगपठा हे यु र का नवन A (sh) A ABT 2.00020 State Carte 10341-ARIA क्रमार्ट्स

